न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—82/2023

प्रार्थीगण :—

1. श्रीमती पानीदेवी पत्नी गोरधन जाति मेघवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
2. कोलाराम पुत्र लेखाराम
3. डायाराम पुत्र लेखाराम
4. धन्नाराम पुत्र लेखाराम
5. पानी पुत्र लेखाराम
6. बदामी पुत्री लेखाराम
7. लेखाराम पुत्र सवाराम
8. सुजीदेवी पुत्री लेखाराम
   जाति मेघवाल निवासी बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी :—

1. फुसीदेवी पुत्री मिसराराम जाति मेघवाल
2. सीतादेवी पुत्री मिसराराम जाति मेघवाल
   निवासी मिठौडा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— 1. श्री कैलाशपुरी वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::— दिनांक :—15.01.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उन्डेलनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1318/574 रकबा 6.8688 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदार की आई हुई है मूल खसरा संख्या 574 का माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा डिक्री जारी किये जाने पर प्रार्थीगण को बदिशा पूर्वी तरफ व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बदिशा पश्चिम की तरफ का हिस्सा प्राप्त हुआ। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 माफिक बंटवाडा मौके पर काबिज काश्त है तथा मौके पर सेडा कायम किया हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा मूल खसरा संख्या 574 की तरमीम करते समय प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य तरमीम की लाईन खीचते समय सहवन से खेत के बदिशा उत्तरी तरफ प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर करीब 7 गट्ठा भूमि पर लाईन खींच दी, प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान करवाने जाने पर प्रार्थीगण के अनार के करीब 200 पौधे विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की हद में पाया गया। अतः प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 1318/574 में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए खसरा संख्या 1318/574 में वास्तविक स्थान पर दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.12 17:01:55 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र कमांक–भू. अ/2024/43 दिनांक 09.01.2024 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार खसरा संख्या 1318/574 रकबा 6–8688 हैक्टेयर की तरमीम दुरूस्त परिशिष्ट 'अ' अनुसार की जाती है तो प्रार्थीगण का रकबा जमाबन्दी में दर्ज रकबा से मिलाना होता है साथ ही विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को भी रकबा रेकर्ड अनुसार सही होता है। रिपोर्ट में तहसीलदार सिवाना ने मौका रिपोर्ट पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम शीट में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा स्थिति में भिन्नता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा अनुसार रेकर्ड दुरूस्त किये जाने हेतु उचित बताया है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उन्डेलनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1318/574 रकबा 6–8688 हैक्टेयर भूमि की नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 1[illegible].01.2024 सरेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.12 17:01:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना
राजस्व आवेदन संख्या 82/2023 अनवान पानीदेवी
बनाम फूसीदेवी में तरमीम दुरुस्ती हेतु

परिशिष्ट "अ"

वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार
नजरी नक्शा

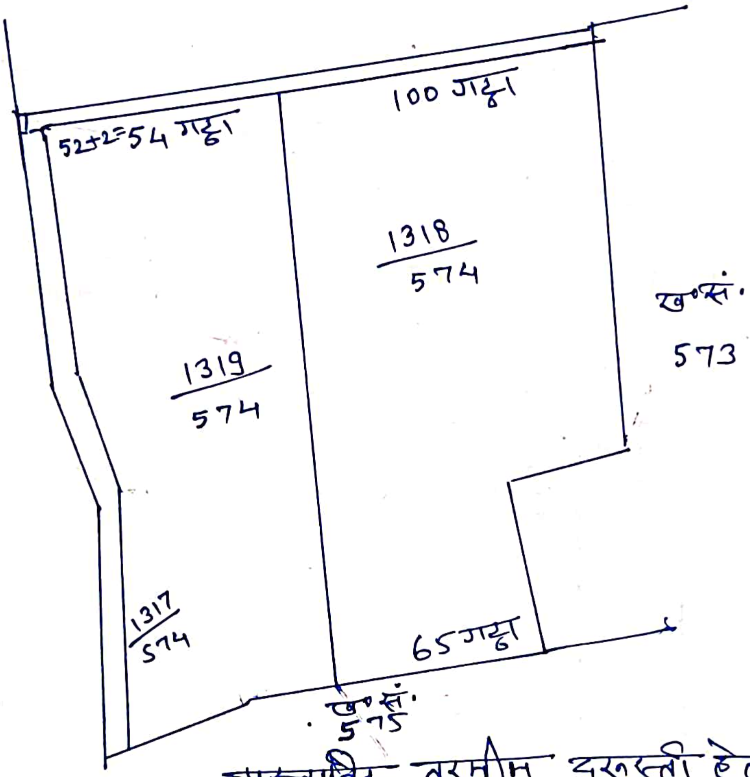

प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती हेतु नजरी नक्शा

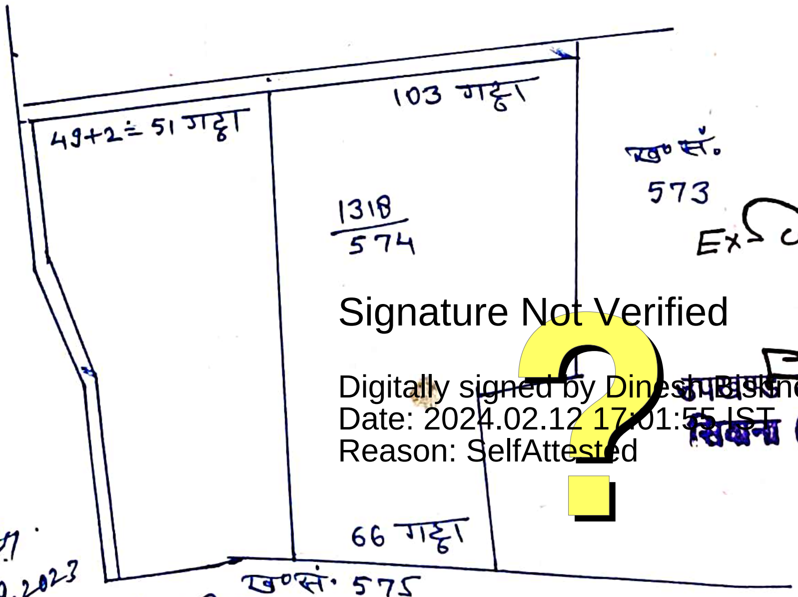

Ex- court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.02.12 17:01:55 IST
Reason: SelfAttested